GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1T / 13371 Jaipur, Dated:- 16-7-15

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification No.F.6(179)Pari/Tax/Hqrs./ 95/1R, dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

Amendements

In the said notification,-

(I) in the existing proviso (1) for the expression "an additional tax at the rate of 25% of the one time tax paid at the time of registration shall be payable", the expression " an additional tax at the rate of 25% of onetime tax/ lump sum tax paid at the time of registration or after registration shall be payable" shall be substituted.

(II) after the existing proviso (6), and before the Note the following new proviso (7) shall be inserted, namely:-

"(7) the motor cab or maxi cab which had paid Lump Sum Tax in Rajasthan earlier, shall not be required to pay onetime tax when converted to a non transport vehicle. If such converted non transport vehicle is again reconverted to a motor cab or maxi cab then Lump Sum Tax shall not be payable."

By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora),
Joint Secretary to Government

F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1T / 13372-84 Jaipur, Dated:- 16-7-2015

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director, Government Central Press, Jaipur. The notification may kindly by published in the extra-ordinary Gazette dated .... and a copy thereof may be sent to this Department.
2. Private Secretary to the Secretary, Chief Minister-Rajasthan, Jaipur.
3. Special Assistant to the Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. Private Secretary to State Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
5. Private Secretary to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. Principal Secretary, Law Department, Rajasthan, Jaipur.
7. Private Secretary to Transport Commissioner & Secretary, Rajasthan, Jaipur.
8. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. Shri Sanjay Singhal, ACP for updation of departmental website.
11. All Additional Transport Commissioner, Zones.
12. All regional/District Transport officers.

(Dr. Manisha Arora),
Joint Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

प. 6(179)परि/कर/मु./95/1टी /13358 जयपुर, दिनांकः 16-7-15

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समय-समय पर यथा संशोधित, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 6(179)परि/कर/मु./95/1आर, दिनांक 14.07.2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(1) विद्यमान परन्तुक (1) की विद्यमान अभिव्यक्ति "मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की 25% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संदत्त एकबारीय कर/एकमुश्त कर की 25% की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(2) विद्यमान परन्तुक (6) के पश्चात् और टिप्पण के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक (7) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(7) मोटर कैब या मैक्सी कैब, जिसने पूर्व में ही राजस्थान में एकमुश्त कर संदत्त कर दिया है, को जब गैर परिवहन यान में संपरिवर्तित किया जाता है तब उससे एकबारीय कर का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। यदि ऐसा संपरिवर्तित गैर परिवहन यान दुबारा मोटर कैब या मैक्सी कैब में पुनः संपरिवर्तित किया जाता है तब एकमुश्त कर संदेय नहीं होगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोड़ा),
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–प 6 (179) परि/कर/मु/95/1टी / 13358-70 जयपुर,दिनांकः– 16-3-15

प्रतिलिपीः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय, मुद्रणालय, जयपुर का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री , राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री , राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री , राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव ,विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
10. श्री संजय सिंघल, ACP को विभाग की वेबसाईट की अपडेटिंग हेतु।
11. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, जोन/प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव